न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 06/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/11

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. मयूर जोशी पुत्र श्री जगदीशजी मैसर्सः– डि योमा मार्ट हनुमान मन्दिर रोड, अरथुना, बांसवाडा
2. योगेश कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्रजी मैसर्सः– डि योमा मार्ट हनुमान मन्दिर रोड, अरथुना, बांसवाडा
3. श्रीपाल पुत्र श्री हीरालाल जैन मैसर्सः– दोसी श्रीपाल हीरालाल जैन पुराना बस स्टैण्ड मैन रोड, परतापुर बांसवाडा
4. (i) Partner- Manojbhai M/s-Aarti Enterprises, Plot No-585 Galudan Village, Naroda Degham Road, Disst-Gandhinagar(Gujraat)
   (ii) Partner- Naresh Kumar M/s-Aarti Enterprises, Plot No-585 Galudan Village, Naroda Degham Road, Disst-Gandhinagar(Gujraat)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

दिनांक 22.03.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **25–02–2022** को यह प्रकरण इस आशय [illegible] किया गया कि दिनांक **19–08–2021** को 01.00 पी.एम. बजे [illegible] पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्सः– डि योमा मार्ट** हनुमान मन्दिर रोड, अरथुना बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **मयूर जोशी पुत्र श्री जगदीशजी** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Shreeji)** के 13 पैक टीन (प्रत्येक टीन 500–500 एम.एल के) आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखा Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Shreeji) के चार पैक टीन** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 720 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Shreeji) के चार टीन की बोतल** को मूल ही नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/214–215 दिनांक 21.09.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 149 दिनांक 31.08.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Shreeji)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Shreeji)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 25–02–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 22.03.2022 को अभियुक्तगण [illegible] उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में [illegible] द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

एफ.एस.एस.ए / 2021 / 214–215 दिनांक 21.09.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 149 दिनांक 31.08.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Shreeji)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड एवं धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **Inter Esterified Veg.Fat (Brand- Shreeji)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **मयूर जोशी पुत्र श्री जगदीशजी मैसर्सः– डि योमा मार्ट हनुमान मन्दिर रोड, अरथुना, बांसवाडा को रूपये 20,000 / – (अक्षरे रू बीस हजार मात्र), योगेश कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्रजी मैसर्सः– डि योमा मार्ट हनुमान मन्दिर रोड, अरथुना, बांसवाडा को रूपये 20,000 / – (अक्षरे रू बीस हजार मात्र), श्रीपाल पुत्र श्री हीरालाल जैन मैसर्सः– दोसी श्रीपाल हीरालाल जैन पुराना बस स्टैण्ड मैन रोड, परतापुर बांसवाडा को रूपये 20,000 / – (अक्षरे रू बीस हजार मात्र)**, Partner- Manojbhai M/s-Aarti Enterprises, Plot No-585 Galudan Village, Naroda Degham Road, Disst- Gandhinagar(Gujraat) **को रूपये 50,000 / – (अक्षरे रू पचास हजार मात्र)**, Partner- Naresh Kumar M/s-Aarti Enterprises, Plot No-585 Galudan Village, Naroda Degham Road, Disst- Gandhinagar(Gujraat) **को रूपये 50,000 / – (अक्षरे रू पचास हजार मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 की अनुसूची संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:50 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलेक्टर)
बासवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:07:50 IST
Reason: SelfAttested